

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश
विकास नगर, कानपुर-208002
Website: <http://ibe.up.nic.in>

Form No. 11/2014
Part No. 2/2014
Date: 20/08/2014

:: आदेश ::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर कर्मचाला अनुदेशक पेटिंग/पालिशिंग, वैयक्तिक रु० 9300-34800 वैयक्तिक रु० 4200/- में न्यूनतम वेतन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत भर्ती गत शक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख उचित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है। उनकी यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है एवं नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवाये शासनादेश संख्या 20/1/74-3 दिनांक 11 जून, 75 के अनुसार किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की नोटिस पर समाप्त की जा सकती है :-

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	स्थायी पता	संस्था जहाँ नियुक्ति की जाती है
1.	कु० शिवका कुमारी (श्रेणी-सामान्य) पुत्री-श्री कमलेश प्रसाद, म०न०-17सी/1बी, मो०-नयी बस्ती, बेनीगंज, जिला-इलाहाबाद पिन-211 016 राज्य-उ०प्र०	म०न०-17सी/1बी, मो०-नयी बस्ती, बेनीगंज, जिला-इलाहाबाद, पिन-211 016 राज्य-उ०प्र०	राजकीय पालीटेकनिक, प्रेमधर पट्टी, बेनीगंज, प्रतापगढ़
2.	श्री रागाश्रय, (श्रेणी-सामान्य) पुत्र-श्री काशीनाथ, ग्राम-नगईपुर, पोट-वसन्तपुर, जिला-वाराणसी, राज्य-उ०प्र०	ग्राम-नगईपुर, पोट-वसन्तपुर, जिला-वाराणसी, राज्य-उ०प्र०	राजकीय पालीटेकनिक, कुरु पिण्डा, वाराणसी
3.	श्री सत्येन्द्र कुमार, (श्रेणी-अनुसूचित जाति) पुत्र-स्व० तेज बहादुर, म०न०-117/क्यू/458, मो०-इन्द्रपुरी, शारदानगर, जिला-कानपुर नगर, पिन-208 025 राज्य-उ०प्र०	म०न०-117/क्यू/458, मो०-इन्द्रपुरी, शारदानगर, जिला-कानपुर नगर, पिन-208 025 राज्य-उ०प्र०	राजकीय पालीटेकनिक, सरसाई राठ, हमीरपुर

नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा पदभार ग्रहण करने पर उनकी वरिष्ठता नाद में निर्धारित की जायेगी। उपरोक्त अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-

1. सभी शैक्षिक एवं अनुभव सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।
2. दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
3. एक पत्नी जीवित होने अथवा अविवाहित होने का प्रमाण-पत्र।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र।
5. भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने का प्रमाण-पत्र।

पदभार ग्रहण करने की सूचना के साथ उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्र निदेशालय एवं संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक कार्यालय भेजे जायें। नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित तिथि तक उपरोक्त अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ होता है तो इनके नियुक्ति आदेश स्वतः समाप्त समझे जायेंगे। पदभार ग्रहण करने हेतु नियुक्त अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(कफील अहमद)
निदेशक।